प्रारूप–36

मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिर्वतन नही होगा और वह भी पूर्व की भांति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नही।
3 .याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग,संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही करेगा।
4 .भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिशिचित कर लिया गया है कि मांगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है।
5 .हस्तान्तरित विभाग उसके कर्मचारी,अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचायेंगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा। जिससे यापक विभाग सहमत है।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारीयों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही होगी।
8. बहमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एंव वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा कि क्षतिपूर्ति एंव अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिशिचित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों पौधौ को एंव वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये ,वन विभाग का वापस हो जायेगी।
11. सडक निमार्ण के प्रस्तावों पर संरेखण तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता,सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ,पर्वतीय क्षेत्र पौडी को सम्बोधित पत्र संख्या 608सी0 दिनांक 10.02. 82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्धारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गा को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होना और नई सडक का निमार्ण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आकंलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खडे वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रकिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तिरित भूमि पर पडने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परियोजना व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाये का भुगतान याचक विभाग, वन विभाग को करेगा। 1000 मी0 एंव 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खडे वृक्षों का पातन भी निषिद्व है, इसी प्रकार बांज के पेडो पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के उपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेडों का कटान नही किया जायेगा या खम्भों को उंचा करके इसे सुनिशिचित किया जायेगा। यदि फिर भी पेडो का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेडो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धि उप वन संरक्षक द्वारा निशिचित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निमार्ण में भू –संरक्षण की समानता होती है और नहर की दोनो पटटियों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि की वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये जब उच्च शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई शर्त याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता ग्रा0नि0वि0 पी0आई0यू0–2 पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र–कपकोट बागेश्वर।	सहायक अभियन्ता ग्रा0नि0वि0 पी0आई0यू0–2 पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र–कपकोट बागेश्वर।	अधिशासी अभियन्ता ग्रा0नि0वि0 पी0आई0यू0–2 पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र–कपकोट बागेश्वर।